अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		430.00	12.83	442.83	280.00	12.83	292.83	925.00	13.83	938.83
पूंजी		*70.00*	*...*	*70.00*	*70.00*	*...*	*70.00*	*75.00*	*...*	*75.00*
जोड़		**500.00**	**12.83**	**512.83**	**350.00**	**12.83**	**362.83**	**1000.00**	**13.83**	**1013.83**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2251	...	3.91	3.91	...	4.46	4.46	0.50	5.26	5.76
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण										
2. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान सहायता	2225	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
3. अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम	2225	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	8.70	...	8.70
	3601	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
	3602	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
	जोड़	*9.00*	*...*	*9.00*	*9.00*	*...*	*9.00*	*9.00*	*...*	*9.00*
4. अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन की विकास स्कीम	2225	5.40	...	5.40	10.99	...	10.99	4.50	...	4.50
5. पूर्व-स्नातक एवं स्नाकोत्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता तथा साधन छात्रवृत्तियां	3601	47.88	...	47.88	47.88	...	47.88	110.82	...	110.82
	3602	0.72	...	0.72	0.70	...	0.70	1.40	...	1.40
	2225	...	...	...	0.02	...	0.02	0.18	...	0.18
	जोड़	*48.60*	*...*	*48.60*	*48.60*	*...*	*48.60*	*112.40*	*...*	*112.40*
6. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	3601	70.92	...	70.92	8.86	...	8.86	70.72	...	70.72
	3602	1.08	...	1.08	0.14	...	0.14	1.02	...	1.02
	2225	...	...	...	...	...	...	0.16	...	0.16
	जोड़	*72.00*	*...*	*72.00*	*9.00*	*...*	*9.00*	*71.90*	*...*	*71.90*
7. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पश्चात् छात्रवृत्ति	3601	88.65	...	88.65	53.19	...	53.19	88.43	...	88.43
	3602	1.35	...	1.35	0.81	...	0.81	1.27	...	1.27
	2225	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
	जोड़	*90.00*	*...*	*90.00*	*54.00*	*...*	*54.00*	*89.90*	*...*	*89.90*
8. चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	3601	108.00	...	108.00	66.97	...	66.97	476.80	...	476.80
	3602	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
	2225	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
	जोड़	*108.00*	*...*	*108.00*	*66.97*	*...*	*66.97*	*485.80*	*...*	*485.80*
9. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीए) को सहायता अनुदान	2225	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	4.50	...	4.50
जोड़ - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		**392.00**	**...**	**392.00**	**257.56**	**...**	**257.56**	**838.00**	**...**	**838.00**
अन्य सामाजिक सेवाएं										
10. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2250	...	1.43	1.43	...	1.23	1.23	...	1.53	1.53
11. राष्ट्रीय धर्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक आयोग	2250	...	0.19	0.19	...	0.61	0.61	...	...	...
12. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2250	...	4.40	4.40	...	3.63	3.63	...	4.04	4.04
जोड़ - अन्य सामाजिक सेवाएं		**...**	**6.02**	**6.02**	**...**	**5.47**	**5.47**	**...**	**5.57**	**5.57**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
13. वक्फ को सहायता अनुदान	2235	...	2.90	2.90	...	2.90	2.90	...	3.00	3.00
14. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	4225	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00	67.50	...	67.50
जोड़ - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**63.00**	**2.90**	**65.90**	**63.00**	**2.90**	**65.90**	**67.50**	**3.00**	**70.50**
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एक-मुश्त प्रावधान	2552	38.00	...	38.00	22.44	...	22.44	86.50	...	86.50
	4552	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	7.50	...	7.50
	जोड़	*45.00*	*...*	*45.00*	*29.44*	*...*	*29.44*	*94.00*	*...*	*94.00*
कुल जोड़		***500.00***	***12.83***	***512.83***	***350.00***	***12.83***	***362.83***	***1000.00***	***13.83***	***1013.83***

सं.66/ अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
14. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	22225	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	75.00	...	75.00
ग. आयोजना परिव्यय।	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना										
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	22225	392.00	...	392.00	257.56	...	257.56	838.00	...	838.00
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	22235	63.00	...	63.00	63.00	...	63.00	67.50	...	67.50
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	45.00	...	45.00	29.44	...	29.44	94.00	...	94.00
जोड़ - केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना		**500.00**	**...**	**500.00**	**350.00**	**...**	**350.00**	**1000.00**	**...**	**1000.00**

1. सचिवालय : यह प्रावधान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान : मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, अराजनीतिक, लाभ न कमाने वाली, सामाजिक सेवा संस्था है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रतिष्ठान की आय का एक मात्र स्रोत भारत सरकार द्वारा दी गई संचित निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज राशि है। प्रतिष्ठान की योजनाएं वर्तमान संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए हैं।

3. कोचिंग एंव सम्बद्ध योजना : इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अपना ज्ञान, कौशल को बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र की नौकरियों में अवसर प्रदान करना तथा ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश हेतु सहायता प्रदान करना है। इसमें अभ्यर्थियों को अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान भी है।

4. अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना : इस योजना का उद्देश्य, 15-सूत्री कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं और कार्यक्रमों का अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा साथ ही साथ ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है।

5. पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट-एवं-साधन आधारित छात्रवृत्तियां : यह छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए मैरिट-एवं-साधन की पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

6. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति : मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

7. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति : मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो 11वीं तथा 12वीं कक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए मैरिट-एवं-साधन की पात्रता मानदंड पूरा करते हों। यह छात्रवृत्ति उन पात्र छात्रों को भी प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलिजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एचडी स्तर की सामान्य पाठ्यक्रम की शिक्षा पूरी करना चाहते हों।

8. अल्पसंख्यक बहुल चयनित जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम : बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित उन 90 जिलों में एक आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा "अल्प विकास" की समस्या का समाधान करना है, जिन जिलों में अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी आबादी है।

9. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यक्रम के कार्यान्वयन कार्य में लगे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपना कार्य संचालित करता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां अवसंरचना, श्रम षक्ति और संसाधनों के अभाव से ग्रस्त हैं, जिस कारण यह निगम अपना कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहा है। सहायता अनुदान, इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपनी कार्यक्षमता और कार्य संचालन की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रदान किया जाना है।

10, 11 और 12. अन्य समाजिक सेवाएं : यह प्रावधान, भाषायी अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में विशेष अधिकारी पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए है।

13. वक्फ् को सहायता अनुदान : यह प्रावधान, केन्द्रीय वक्फ् परिषद को सहायता अनुदान के लिए है।

14. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश : यह प्रावधान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को शेयर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए है।

15. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान : यह प्रावधान, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए है।